

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-111/2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री विजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, हनुमानगढ।	09.02.1999	18 वर्ष	09.02.2017	9300-34800	3600
2.	श्री शंकर लाल भट्ट, वरिष्ठ सहायक, भीलवाडा।	05.05.1990	27 वर्ष	05.05.2017	9300-34800	4200
3.	श्री मदन मुरारी सिंघल, वरिष्ठ सहायक, धौलपुर।	14.09.1990	27 वर्ष	14.09.2017	9300-34800	4200

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

5/2
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-111/2018/01

दिनांक : 12/01/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ/भीलवाडा/धौलपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बसेडी, धौलपुर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, औसिया, जोधपुर/मांडल, भीलवाडा/भादरा, हनुमानगढ।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर